कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

87—राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष—0135—2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक— 1325 /12—1, देहरादून, दिनांक, 07 फरवरी 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :— **जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरिपुर में मुख्य मार्ग से जूनियर हाईस्कूल की ओर सड़क निर्माण हेतु 0.1134 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन FP/UK/ROAD/146873/2021.**

संदर्भ :— **आपका पत्रांक 481/ FP/UK/ROAD/146873/2021 दिनांक 18.08.2022।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव में पाई गयी कमियों का निराकरण करते हुये पत्रांक 2484/12—1 दिनांक 16.01.2023 से आख्या मय अभिलेखों के इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त आख्या मय संस्तुति के मूल तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक /12—1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड,देहरादून।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 2484 / 12–1 दिनांक, चकराता 16, जनवरी 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :– जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरिपुर में मुख्य मार्ग से जू0हा0स्कूल की ओर संड़क निर्माण हेतु वन भूमि पर का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–481 दि0 18.08.2022 एवं आपका कार्यालय पत्रांक–आर0नं0–957 / 12–1 दिनॉक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र से लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–01 / 6सी दि0 02.01.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है एवं प्रस्ताव ऑनलाईन दि0 03.01.2023 को उपलब्ध कराई गई। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	बिन्दु सं0–2–प्रस्ताव में भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न नही की गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्ताव में चस्पा कर दी गई है।
2	बिन्दु सं0–3–प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्ताव में चस्पा कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में भाग–2 (प्रपत्र–3) एवं प्रपत्र–7(SIR) में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	प्रस्ताव में भाग–2 (प्रपत्र–3) एवं प्रपत्र–7 (SIR) में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर ऑलनाईन अपलोड कर प्रति प्रस्ताव में चस्पा कर दिया गया है।

भवदीया

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

Scanned with CamScanner